तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 237 / 2013 जीसीएमएस : 2023 / 00037 राजेश वधवा बनाम भागवन्ती देवी आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
18.03.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। मूल वाद में प्रार्थी / वादी की मृत्यु हो जाने के कारण वादी के स्थान पर उनके विधिक प्रतिनिधियों की प्रतिस्थापना के आदेश पारित किये जा चुके है। वादी / प्रार्थी की मृत्यु वर्ष 2016 में हो चुकी है। प्रार्थी के विधिक प्रतिनिधियों द्वारा मूल वाद में तो वादी के स्थापन पर पक्षकार प्रतिस्थापित करने हेतु आवेदन किया है लेकिन हस्तगत प्रकरण में आज दिनांक तक इस प्रकार का कोई आवेदन पेश नहीं किया गया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि मृतक वादी के विधिक प्रतिनिधियों की हस्तगत प्रकरण को चलाने में कोई रूची नहीं है। प्रार्थना पत्र का उपशमन हो चुका है। अतः उपशमन के आधार पर प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर मूल वाद के संलग्न रहे। **निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।** शकुन्तला R.A.S. उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर	

न्यायालय उपखण्डाधिकारी श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:22:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner